कार्यालय–श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।

संख्याः– प्रवर्तन / (कोविड–19)2020, दिनांकः 2020

आदेश

महामारी अधिनियम–1897 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन श्रम अनुभाग–3 द्वारा कारखानों / दुकानों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अस्थायी बंदी की अवधि के लिए उसके नियोजकों द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा, के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्याः–09 / 2020 / 44 / 6 / 36–03–2020–30(सा0) 2020, लखनऊ, दिनांक 20–03–2020 के क्रम में समस्त क्षेत्रीय अपर / उप श्रमायुक्त तथा सम्भागीय उप निदेशक कारखाना को निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश में विहित व्यवस्था के उल्लंघन की स्थिति में यदि किसी कारखाना, दुकान अथवा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के प्रबंधक / स्वामी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) दर्ज कराने के स्थिति आती है, तो अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाएगा।

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
श्रम आयुक्त एवं
निदेशक कारखाना, उत्तर प्रदेश।

संख्याः– 354-5 प्रवर्तन / (कोविड–19)2020, दिनांकः 21.06.2020

प्रतिलिपि–निम्नॉकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्रम, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग–3, लखनऊ।
2. समस्त क्षेत्रीय अपर / उप श्रमायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त सम्भागीय उप निदेशक कारखाना, उ0प्र0।

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
श्रम आयुक्त एवं
निदेशक कारखाना, उत्तर प्रदेश।

Scanned by CamScanner